



इलाहाबाद विकास प्राधिकरण, इलाहाबाद

(7th / 8th Floor, Indira Bhawan, Civil Lines, Allahabad)

परिशिष्ट-6

भाग-द

((प्रपत्र-‘ब’) पृष्ठ 4/4)

विकास प्राधिकरण की अभ्युक्ति एवं पूर्णता प्रमाण-पत्र :

श्री विनय श्रीचन्द गुप्ता, श्री अभिनेष श्रीचन्द गुप्ता, श्री आशीष श्रीचन्द गुप्ता, गुप्ता केन्स एण्ड स्टोरेज प्रा0लि0 द्वारा आराजी संख्या-11/2, 11/3 मौजा-चक फैजुल्ला परगना अरैल, तहसील-करछना एवं मकान नं0 79/11, 11वीं चक रघुनाथ नैनी इलाहाबाद (नेट एरिया 3120.04 वर्गमीटर) पर निर्मित समूह आवास भवन पर दिये गये उपरोक्त प्रमाण-पत्र का परीक्षण प्राधिकरण के अवर अभियन्ता श्री ए0के0 पाठक, सहायक अभियन्ता श्री एस0एम0 मेहदी एवं अधिशारी अभियन्ता श्री एस0डी0 शर्मा द्वारा कर लिया गया है। स्थल पर निर्माण एवं विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत प्रस्तावित मानचित्र परमिट संख्या-226/प्र0अ0(भवन)/जोन-4/मु0हा0/2011-12 दिनांक 12.11.2012 एवं शमन मानचित्र परमिट संख्या-108/प्र0अ0(त0रा0)/जोन-4/मु0हा0/शमन/2018-19 दिनांक 20.08.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। मुख्य अग्नि शमन अधिकारी इलाहाबाद, उप निदेशक विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन इलाहाबाद जोन इलाहाबाद, अधिशारी अभियन्ता-भूगर्भ जल विभाग खण्ड-यांत्रिक इलाहाबाद, तथा आर्किटेक्ट द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों को संज्ञान में लेते हुए उपाध्यक्ष के स्वीकृति आदेश दिनांक 31-08-2018 के क्रम में उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-15क(2) के अन्तर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। स्वीकृत मानचित्र में आरोपित किसी भी शर्त का अनुपालन न करने अथवा उल्लंघन करने की दशा में दी गयी अनुज्ञा स्वतः समाप्त मानी जायेगी। उपर्युक्त विभागों द्वारा निर्मित अनापत्ति पत्र में अंकित प्रतिबन्धों/शर्तों का अनुपालन आवेदक/विकासकर्ता द्वारा किया जाय।

अभिलेख जो संज्ञान में लिये गये :-

1. मुख्य अग्निशमन अधिकारी इलाहाबाद
प0रा0 एफपी/C.F.O/आई-2(17)/2018 हस्ताक्षर
दिनांक 10 अगस्त, 2018
2. उपनिदेशक, विद्युत सुरक्षा उ0प्र0 शासन
प0रा0-348/उ0ने0/वि0रु0/इला0निरी0
दिनांक 28.07.2018
3. अधिशारी अभियन्ता भूगर्भ जल बोर्ड इला0
प0रा0 179/भू0ज0वि0रु0 यॉ0/रे0वा0हा0
दिनांक 16 अगस्त, 2018
4. आर्किटेक्ट/इन्जीनियर का प्रमाण-पत्र।

पदनाम : सचिव/अपर सचिव

कार्यालय की मुहर

दिनांक : 01 सितम्बर, 2018

पत्रांक: 108/प्र0अ0(त0रा0-2)/C.C/2018-19

दिनांक : 01 सितम्बर, 2018